माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / एएसआई / 2026 / 105 दिनांक 09 / 04 / 2026

आदेश

विषय: अध्ययन संस्थाओं के ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अद्यतन किए जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि यदि किसी संस्था को अपने ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का संशोधन/अद्यतन कराना होए तो इसके लिए संस्था द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त आवेदन संस्था के लेटरहेड पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए—

1. समिति का प्रस्ताव

जिसमें समिति के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।

2. पंजीयन संबंधी दस्तावेज

समिति का पंजीकृत कार्यालयीन फॉर्म एवं सोसायटी द्वारा अनुमोदित धारा 27 का प्रपत्र क्रमांक - 07 (जो प्रतिवर्ष पंजीयक कार्यालय में जमा किया जाता है तथा जिसमें समिति के कार्यकारिणी सदस्यों का विवरण अंकित रहता है) की प्रमाणित प्रति, संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित, संस्था संचालक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त दस्तावेजों का विश्वविद्यालय अभिलेखों से विधिवत सत्यापन किए जाने के उपरांत ही ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर में संशोधन/अद्यतन की कार्यवाही की जाएगी।

अतः समस्त संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें।

09/4/2026
(डॉ आशीष जोशी)
निदेशक
सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल